कार्यालय प्राचार्य
शासकीय पालूराम धनानिया वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)
सम्बद्धः—शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़
Website- www.gpdcollegeraigarh.in **College Code – 3203** E-Mail – pdcollege.raigarh@gmail.com

Report

Event Name: Children's Day Celebration

Event Date: 14 November 2022

Event Report: Children's Day Celebration was organised by Centre of Legal Education for children's, in this day we enlightened children's regarding their rights, by way of discussing various acts which one should know in their day today life, such as Protection of Children's from Sexual Offences Act, 2012 Act, UNICEF, Child Labour, Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 Child Welfare Committee, Protection of Child Marriage Act, 2006.

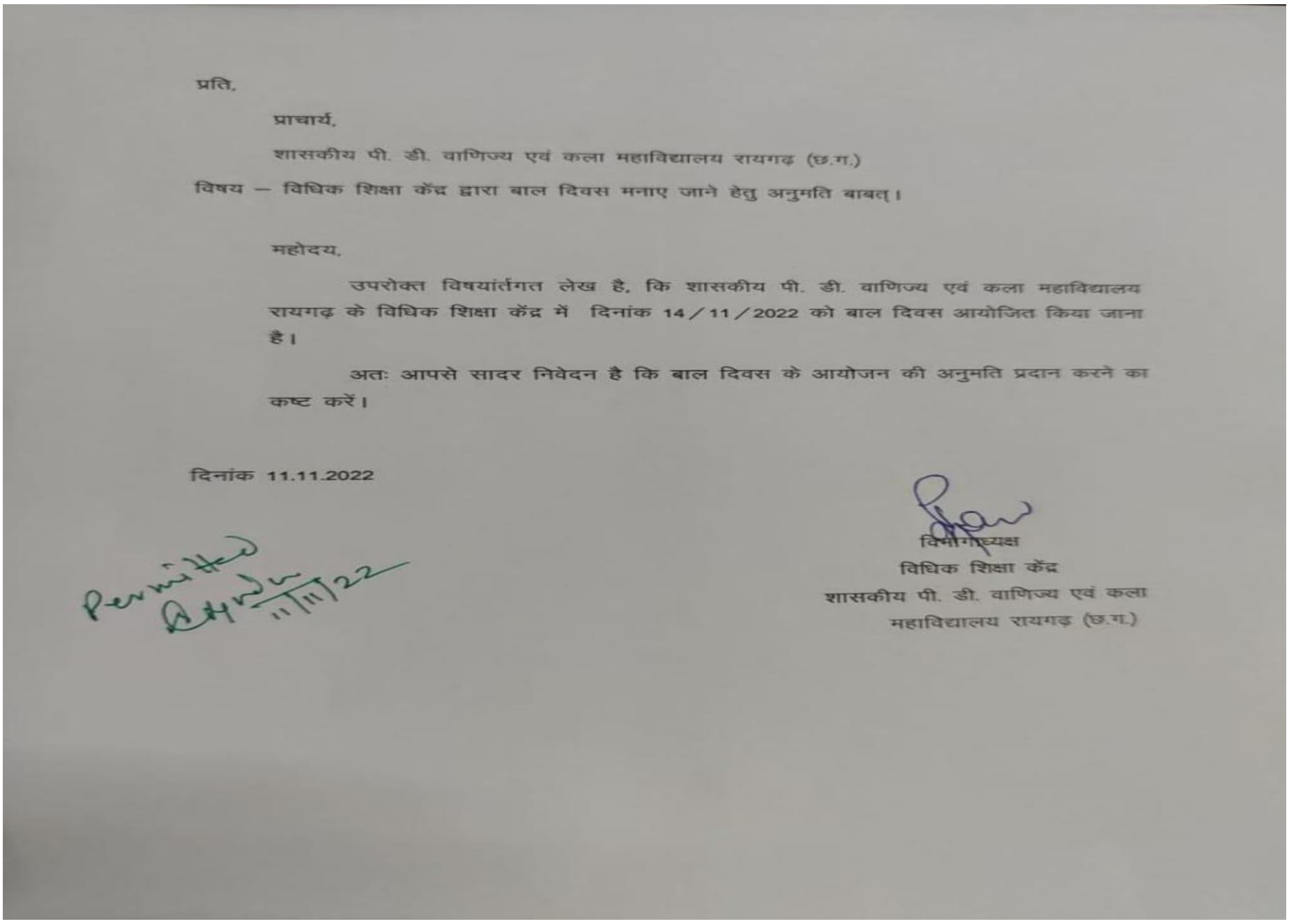

प्रति,

प्राचार्य,

शासकीय पी. डी. वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

विषय — विधिक शिक्षा केंद्र द्वारा बाल दिवस मनाए जाने हेतु अनुमति बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि शासकीय पी. डी. वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय रायगढ़ के विधिक शिक्षा केंद्र में दिनांक 14/11/2022 को बाल दिवस आयोजित किया जाना है।

अतः आपसे सादर निवेदन है कि बाल दिवस के आयोजन की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

दिनांक 11.11.2022

Permitted
11/11/22

विभागाध्यक्ष
विधिक शिक्षा केंद्र
शासकीय पी. डी. वाणिज्य एवं कला
महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

PY CHILDREN'S
DAY
Shot on OnePlus
Powered by Triple Camera

Shot on OnePlus
Powered by Triple Camera

पीडी कॉलेज के विधिक शिक्षा केंद्र में बाल दिवस का आयोजन

छात्र–छात्राओं को उनके बाल अधिकारों से कराया गया अवगत

रायगढ़। शासकीय पालूराम धनानिया वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय में सोमवार को प्राचार्य डॉ. बी. पी. यादव के मार्गदर्शन में विधिक शिक्षा केंद्र में बाल दिवस का आयोजन किया गया। बाल दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं को उनके बाल अधिकारों से अवगत कराया गया। इसी तारतम्य में विधि विभाग अध्यक्ष डॉ. प्रदीप शर्मा ने पास्को एक्ट के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान दी। संतोष कुमार नायक के द्वारा बाल अधिकार कोष (यूनिसेफ) के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया गया। डॉ. मनीषा दुबे के द्वारा बालकों को शिक्षा के अधिकार के संबंध में अवगत कराया गया। प्रगति पंडा ने बाल श्रम के संबंध में जानकारी प्रदान की। डॉ. अनुपमा पटेल ने किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

अंशुमाला कुजुर ने बाल उत्पीड़न एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम के संबंध में जानकारी देते हुये कहा कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं अतः उनके बालपन एवं अधिकारों का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम में बी.ए.एल एल.बी. के छात्र–छात्रायें उपस्थित रहे।

विधिक शिक्षा केंद्र में बाल दिवस का आयोजन

रायगढ़। शासकीय पालूराम धनानिया वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय रायगढ़ में सोमवार को प्राचार्य डॉ. बी. पी. यादव के मार्गदर्शन में विधिक शिक्षा केंद्र में बाल दिवस का आयोजन किया गया। बाल दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं को उनके बाल अधिकारों से अवगत कराया गया। इसी तारतम्य में विधि विभाग अध्यक्ष डॉ. प्रदीप शर्मा ने पॉक्सो एक्ट के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान दी। संतोष कुमार नायक के द्वारा बाल अधिकार कोष (यूनिसेफ) के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया गया। डॉ. मनीषा दुबे के द्वारा बालकों को शिक्षा के अधिकार के संबंध में अवगत कराया गया। प्रगति पंडा ने बाल श्रम के संबंध में जानकारी प्रदान की। डॉ. अनुपमा पटेल ने किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। अंशुमाला कुजूर ने बाल उत्पीड़न एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम के संबंध में जानकारी देते हुये कहा कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं अतः उनके बालपन एवं अधिकारों का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम में बी. ए. एल. एल. बी. के छात्र-छात्रायें उपस्थित रहे।